सूचना का अधिकार कानून

सूचना का अधिकार कानून भारत की जनता को सरकार से सूचना पाने का अधिकार प्रदान करना है। सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद भारत विश्व का 55 वां ऐसा देश हो गया है, जहाँ देशवासियों को कानून के माध्यम से किसी भी विभाग, केन्द्र अथवा परियोजना से किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

'सूचना प्राप्त करने का अधिकार' से सम्बन्धित विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक को 15 जून, 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह कानून 12 अक्टूबर, 2005 को पूरे देश में लागू हो गया।

सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकताः सरकार और अधिकारियों के कामकाज में सुधार लाने या **भ्रष्टाचार व पारदर्शिता** के लिए लोगों को कानून द्वारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार ऐतिहासिक कदम।

इसके अंन्तर्गत की गई व्यवस्थाएंः

अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्र द्वारा एक केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया जायेगा जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगें तथा अधिक से अधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्त होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिये एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मन्त्रिमंडल का एक मंत्री इसके सदस्य होंगे।

प्रावधानः

एक व्यक्ति को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन कर्ता को मात्र 12 रुपये व्यय करने होंगे जिसमें आवेदन का शुल्क 10 रुपया है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी रिकार्ड के निरीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए एक घंटे के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा परन्तु इसके बाद प्रत्येक 15 मिनट के लिए आकांक्षी को 5 रुपया शुल्क देना होगा।

अपवाद– सूचना का अधिकार कानून के अन्तर्गत ऐसी सूचनाएँ सरकार द्वारा देशवासियों को **उपलब्ध नहीं करायी जा सकती** जो देश की **एकता, अखंडता एवं सुरक्षा** से संबंधित प्रश्न हों।

केन्द्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त पंचायतीराज सरथाएँ, स्थानीय शासन तथा गैर–सरकारी संगठन जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रारकारी अनुदान प्राप्त होता है को इस कानून में शामिल किया गया है।

सूचना प्राप्त करने के किसी भी अधिकार को लोक सूचना अधिकारी धारा 8 और 9 के आधार पर आवेदन को रद्द कर सकता है।

परन्तु यदि यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हो तो आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर आवश्यक जानकारी देने को लोक सूचना अधिकारी बाध्य हैं।

सूचना का अधिकार यदि कोई आरटीआई आवेदक किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गईं हैं तो अब उसे केन्द्रीय सूचना आयोग के दफतरों में भटकने की जरूरत नहीं है। सीधे सीआईसी में **ऑनलाइन** द्वितीय अपील या शिकायत कर सकता है। सीआईसी में शिकायत के लिए वेबसाइट पद में दिया गया फार्म भरकर सबमिट पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही शिकायत या अपील दर्ज हो जाती है।[1]

[1] http//rti-india-gov

भारत सरकार ने **ई–गवर्नेंस और शासन में पारदर्शिता** लाने के उद्देश्य से केन्द्र के सभी मंत्रालयों से संबंधित सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी थी लेकिन इसके साथ ही अब वेबसाइट के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग में शिकायत या द्वितीय अपील भी दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अपील का स्टेटस भी देखा जा सकता है।

सीआईसी में द्वितीय अपील दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में प्रोविजनल संख्या पूछी जाती है। सरकार के पहल को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेयता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत में सूचनाओं को ऑनलाइन करने के पीछे यह मान्यता है कि देश के सभी नागरिक सरकार को कर देते हैं, नागरिकों को सूचनाएं प्राप्त करने में साथ ही साथ सूचना का अधिकार के आवेदन एवं अपीलों को ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई।

अद्यतन रूप में सूचना के अधिकार के रूप में नई व्याख्या त्वरित जबावदेही तथा दृढता के साथ पारदर्शिता है लोकतंत्र की नीतिगत सिद्वांत का आधार है जिसे स्वीडन की संसद के विधिक सिद्वांत द्वारा (रिश्कडाग) स्वतः प्रारम्भ किया गया। विश्व के विभिन्न देशों में समय–समय पर चरणवद्ध तरीके से समाज और सुशासन के संदर्भ में लागू किया गया जिसका मूल आधार सामान्य परिप्रेक्ष्य में विधि और समाज के संबंधों पर आधारित है जो विशेष रूप से शासन और सुशासन की व्यवस्था को जबावदेही तथा जिम्मेदारी के परिपेक्ष्य में लागू किया। प्रसिद्व **विधिशास्त्री फूलर** के अभिविचारो से अभिप्रेत है,।''**सुशासन के नियमों का मानवीय आचरण के रूप में एक विषय है**''।

दुर्खिम तथा मेक्स बेबर के अनुसार सूचना का अधिकार निम्न वाक्यों से स्पष्ट होता हैः–'आधुनिकता का मानक वर्गसंघर्ष तथा विधि की निष्पक्षता इस बात पर आधारित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रकृति सूचक नही है बल्कि विधि के रूप में दिखाई देती है'। इस प्रकार 'विकास तथा निर्भरता हेतु विधि एक ऐजेन्ट के रूप मे कार्य करती हैं ''

गोपनीयता अधिनियम 1911, 1920, 1939 से हुआ है जिसे न्यायिक अनुक्रम में उतना ही नागरिक विधि माना जाता है जितना कि आपराधिक विधि में। स्वतंत्र भारत में ***सूचना के अधिकार से संबंधित अधिनियम में 1958 विधि आयोग*** द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रशासन में सूचना के अधिकार का योगदान, जिसे विधि की विदेशी व्यवस्था के स्थान पर स्थानांतरित किया गया। **खुलेपन की नीतियों तथा गोपनीयता के संदर्भ में सूचना का अधिकार एक अपवाद।**

समाज के हित में, न्यायालयी निर्णय शैक्षणिक संस्थाओं में, आयोग की परीक्षाओं के उत्तर पत्रक में सूचना का अधिकार संबंधी कानून लागू किये जाते हैं। मूलतः सूचना के अधिकार की उत्पत्ति सरकारी कार्यालयों में रखे गये सरकारी दस्तावेजों तक जनता के पहुंच के अधिकार से संबंधित है।

पहुंच का अधिकार के अंतर्गत आपवादिक स्थितियां निम्न विषयों पर लागू होगी।

1. राज्य सुरक्षा
2. रक्षा से संबंधित
3. अंतर्राष्ट्रीय मामले
4. विधिक प्रवर्तन
5. व्यक्तिक एकांतता की सुरक्षा तथा

6. आर्थिक तथा वाणिज्यिक वाक

शासन, सुशासन तथा प्रशासन के संदर्भ में **स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा मानव अधिकारों से संबंधित सूचना के अधिकार** के मूलबिन्दु निम्नलिखित माने जायेगे :–

- भागीदारिता
- विधि का शासन
- पारदर्शिता
- उत्तरदायित्व
- चैतन्यजनित स्थिति
- प्रभाविकता तथा
- कार्यकुशलता।

जबकि, शासन की कमजोरियों को सरकारी मशीनरी या लोक संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित कमजोरियों से परिलक्षित होती है ।

1. विकास में कमी के साथ सहसंबंध
2. शासन से संबंधित भ्रष्टाचार
3. सरकारी बजट का दुरूपयोग
4. असमानता के साथ विकास
5. लोक प्राधिकारियों में विश्वास की कमी तथा
6. सामाजिक वहिष्कार

न्यायिक सक्रियता के रूप में सूचना के अधिकार को विभिन्न प्रारूपों में संवैधानिकता के अन्तर्गत दो प्रकार से अधोलिखित है।

1. मूलाधिकारों तथा नागरिकों के अधिकार 2 लोकतंत्र तथा मतदाताओं के अधिकार

इस प्रकार **लोकहित की प्रतिपूर्ति के निर्धारण** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित वादों में निर्धारण किया गया जिसे **केशवानंद भारती बनाम यूनियन आफ इण्डिया**[2] से लेकर **पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन आफ इण्डिया**[3] सुप्रीम कोर्ट जिसकी पृष्ठभूमि **ज्योति बसू बनाम देवी घोषाल**[4]से लेकर **कुलदीप नैयर बनाम यूनियन आफ इण्डिया**[5] **राजनरायण बनाम यूनियन आफ इण्डिया**[6] से होते हुए 'सूचना के पहुंच के अधिकार' को संविधान में **जानने के अधिकार** के रूप में प्रावधानित किया गया जिसे **एस.पी.गुप्ता बनाम यूनियन आफ इण्डिया**[7] सुप्रीम कोर्ट की स्थिति से भारत में सूचना का अधिकार की आज की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है।

---

[2] ए0आई0आर0 1971 सु0को0 पेज नं0 1461
[3] ए0आई0आर0 2013 सु0को0 पेज नं0 156
[4] ए0आई0आर0 1982 सु0को0 पेज नं0 983
[5] ए0आई0आर0 2006 सु0को0 पेज नं0 3127
[6] ए0आई0आर0 1976 सु0को0 पेज नं0 131
[7] ए0आई0आर0 1982 सु0को0 पेज नं0 149